

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 08 मार्च, 2018

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक-कम-हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय मद की चतुर्थ किस्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-म०भ०प्रा०/5889/2017-18 दिनांक 31.01.2018 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम-कुकिंग लागत आदि योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के कार्यरत 112478 कुक-कम-हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय हेतु केन्द्रांश के रूप धनराशि रु०-1750.33 लाख (रु० सत्रह करोड़ पचास लाख तैंतीस हजार मात्र) एवं राज्यांश के रूप में धनराशि रु०-1166.93 लाख (रु० ग्यारह करोड़ छियासठ लाख तिरान्बे हजार मात्र) अर्थात् कुल रु०-2917.26 लाख (रुपया उनतीस करोड़ सत्रह लाख छब्बीस हजार मात्र) की चतुर्थ किस्त के रूप में संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार व्यय किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) की सेवाएं वर्ष में केवल 10 माह के लिए ही ली जायेंगी ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा ।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस०सी०एस०पी० हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार तथा उपलब्ध केन्द्रांश सीमा के अन्तर्गत किया जाएगा ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों/प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए स्वीकृति निर्गत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपभोग करने पर विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के चिह्नित कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी ) को मानदेय 10 माह के लिये दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(6) संबंधित जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की दशा में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि एन०जी०ओ०, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जाएगा ।

(7) मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक-कम-हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा एवं इस हेतु संबंधित कुक-कम-हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

(8) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि आगामी किस्त की धनराशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त कर लेगें तथा योजना में पूर्व में स्वीकृति की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जनपदों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेगें ।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक लेखानुदान में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष '2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-कुकिंग लागत आदि (के.60/रा.40-के.+रा.) -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के आदेश संख्या-08/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में निहित प्राविधानों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं ।

संलग्नक-यथोक्त

भरदीय,  
29/8/17  
( देव प्रताप सिंह )  
विशेष सचिव ।

संख्या-356(1)/79-6-2018-765/2010 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
- 2- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 3- श्रमायुक्त, कानपुर ।
- 4- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 6- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 7- वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
- 9- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3 ।
- 10- वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ शिक्षा विभाग ।
- 11- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 ।
- 12- समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 ।
- 13- समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक, उ0प्र0 ।
- 14- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन ।
- 15- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,  
( उमेश कुमार तिवारी )  
अनु सचिव ।

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: ०४ मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक-कम-हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय मद की चतुर्थ किस्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-म०भ०प्रा०/5889/2017-18 दिनांक 31.01.2018 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम-कूकिंग लागत आदि योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के कार्यरत 112478 कुक-कम-हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय हेतु केन्द्रांश के रूप धनराशि ₹0-1750.33 लाख (₹0 सत्रह करोड़ पचास लाख तैंतीस हजार मात्र) एवं राज्यांश के रूप में धनराशि ₹0-1166.93 लाख (₹0 ग्यारह करोड़ छियासठ लाख तिरान्बे हजार मात्र) अर्थात् कुल ₹0-2917.26 लाख (रूपया उनतीस करोड़ सत्रह लाख छब्बीस हजार मात्र) की चतुर्थ किस्त के रूप में संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार व्यय किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) की सेवाएं वर्ष में केवल 10 माह के लिए ही ली जायेंगी ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा ।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस०सी०एस०पी० हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार तथा उपलब्ध केन्द्रांश सीमा के अन्तर्गत किया जाएगा ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों/प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए स्वीकृति निर्गत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपभोग करने पर विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के चिह्नित कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) को मानदेय 10 माह के लिये दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(6) संबंधित जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की दशा में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि एन०जी०ओ०, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जाएगा ।

(7) मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक-कम-हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा एवं इस हेतु संबंधित कुक-कम-हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

(8) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि आगामी किस्त की धनराशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त कर लेगें तथा योजना में पूर्व में स्वीकृति की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जनपदों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेगें।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक लेखानुदान में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष '2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-कूकिंग लागत आदि (के.60/रा.40-के.+रा.) -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के आदेश संख्या-08/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में निहित प्राविधानों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,


( देव प्रताप सिंह )  
विशेष सचिव।

संख्या-356(1)/79-6-2018-765/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
- 2- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 3- श्रमायुक्त, कानपुर।
- 4- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 6- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 7- वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 9- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3।
- 10- वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ शिक्षा विभाग।
- 11- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
- 12- समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
- 13- समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक, उ0प्र0।
- 14- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
- 15- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

  
( उमेश कुमार तिवारी )  
अनु सचिव ।

356/79-617


Enclosure of G.O.

**[Mid-Day-Meal Scheme]  
Fund Allocation for Honorarium to Cook-cum-helper  
FY 2017-18: Grant-83, PLAN: 4th Installment**

(Rs. Lac)

Sl. No.	Districts	No. of cook-cum-helper in SCP Category	Funds for Honorarium to cook-cum-helper Being Released as 4th Installment		
			Central Share	State Share	Total
1	2	3	5	6	7=5+6
1	01-Agra	1174	21.76	14.51	36.27
2	02-Aligarh	1159	18.71	12.48	31.19
3	03-Allahabad	4951	84.09	56.06	140.15
4	04-Ambedkar nagar	1420	23.06	15.37	38.43
5	05-Auraiya	449	7.35	4.90	12.25
6	06-Azamgarh	4024	64.97	43.32	108.29
7	07-Badaun	1061	17.45	11.64	29.09
8	08-Baghat	338	5.45	3.64	9.09
9	09-Bahraich	2746	44.63	29.75	74.38
10	10-Ballia	1434	30.42	20.28	50.70
11	11-Balrampur	762	12.31	8.20	20.51
12	12-Banda	1631	25.53	17.02	42.55
13	13-Barabanki	1363	21.39	14.26	35.65
14	14-Bareilly	1081	11.89	7.92	19.81
15	15-Basti	1885	22.91	15.28	38.19
16	16-Bhadohi	954	15.71	10.48	26.19
17	17-Bijnour	2033	32.83	21.88	54.71
18	18-Bulandshahar	1618	28.34	18.89	47.23
19	19-Chandauli	2326	37.37	24.92	62.29
20	20-Chitrakoot	1303	21.04	14.03	35.07
21	21-Amethi	1106	17.86	11.90	29.76
22	22-Deoria	1845	27.19	18.12	45.31
23	23-Etah	694	10.48	6.99	17.47
24	24-Faizabad	1549	25.01	16.68	41.69
25	25-Farrukhabad	319	5.11	3.40	8.51
26	26-Fatehpur	2113	35.12	23.41	58.53
27	27-Firozabad	424	6.85	4.56	11.41
28	28-G.B. Nagar	0	0.00	0.00	0.00
29	29-Ghazipur	2261	32.26	21.51	53.77
30	30-Ghaziyabad	56	6.02	4.02	10.04
31	31-Gonda	1712	27.06	18.04	45.10
32	32-Gorakhpur	3506	31.46	20.98	52.44
33	33-Hameerpur	917	14.60	9.73	24.33
34	34-Hardoi	2814	45.44	30.29	75.73
35	35-Hathras	697	10.98	7.32	18.30
36	36-Itawah	246	3.97	2.65	6.62
37	37-J.P. Nagar	741	11.96	7.98	19.94
38	38-Jalaun	1000	15.76	10.51	26.27
39	39-Jaunpur	1780	26.67	17.78	44.45
40	40-Jhansi	1503	23.51	15.67	39.18

(अमित कुमार श्रीवास्तव)  
मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी  
मध्याह्न भोजन प्राधिकरण  
उ०प्र० लखनऊ

  
20.2.18

Sl. No.	Districts	No. of cook-cum-helper In SCP Category	Funds for Honorarium to cook-cum-helper Being Released as 4th Installment		
			Central Share	State Share	Total
1	2	3	5	6	7=5+6
41	41-Kannauj	201	3.25	2.16	5.41
42	42-Kanpur Dehat	431	8.69	5.79	14.48
43	43-Kanpur Nagar	1170	18.74	12.50	31.24
44	44-Kaas Ganj	348	5.98	3.98	9.96
45	45-Kaushambi	1330	21.83	14.55	36.38
46	46-Kushinagar	3353	51.71	34.48	86.19
47	47-Lakhimpur Kheri	2599	41.72	27.81	69.53
48	48-Lalitpur	565	8.51	5.67	14.18
49	49-Lucknow	2232	36.04	24.02	60.06
50	50-Mahoba	676	10.91	7.28	18.19
51	51-Mahrajganj	2342	36.46	24.30	60.76
52	52-Mainpuri	293	4.78	3.19	7.97
53	53-Mathura	62	0.97	0.64	1.61
54	54-Mau	2150	30.35	20.24	50.59
55	55-Meerut	871	14.58	9.72	24.30
56	56-Mirzapur	2861	42.06	28.04	70.10
57	57-Moradabad	1676	27.24	18.16	45.40
58	58-Muzaffarnagar	882	14.27	9.52	23.79
59	59-Pilibhit	1709	27.74	18.49	46.23
60	60-Pratapgarh	785	0.00	0.00	0.00
61	61-Rai Bareilly	2386	38.53	25.68	64.21
62	62-Rampur	1514	23.60	15.74	39.34
63	63-Saharanpur	1776	28.71	19.14	47.85
64	64-Santkabl Nagar	1391	22.10	14.74	36.84
65	65-Shahjahanpur	2327	37.99	25.33	63.32
66	66-Shrawasti	992	16.10	10.73	26.83
67	67-Siddharthnagar	3046	34.24	22.83	57.07
68	68-Sitapur	3739	60.37	40.24	100.61
69	69-Sonbhadra	1528	24.54	16.36	40.90
70	70-Sultanpur	1729	27.97	18.64	46.61
71	71-Unnao	1564	25.72	17.15	42.87
72	72-Varanasi	2564	41.40	27.60	69.00
73	73-Sambhal	1320	21.43	14.28	35.71
74	74-Hapur	653	10.54	7.03	17.57
75	75-Shamli	418	6.74	4.53	11.27
Total		112478	1750.33	1166.93	2917.26

(अमित कुमार श्रीवास्तव)  
मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी  
मध्याह्न भोजन प्राधिकरण  
उ०प्र० लखनऊ

Edu-6 A.K. budget. 2018

(अनूप कुमार शुक्ल)  
समीक्षा अधिकारी  
शिक्षा विभाग-6  
उ० प्र० शासन

(उमेश कुमार तिवारी)  
अनु सचिव।